निगम– 26

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

फूली बनाम चन्दो आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर –32/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
03.2025	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 20/113 के खसरा सं0 287, 291/3 कुल 10.737है0 व रोही चक 8 एमएसआर के खाता सं0 92/54 के मु0 न0 73 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 25 कुल 5.313है0 व रोही चक 3 केआरपी के खाता सं0 169/61 के मु0 न0 88 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 3.036है0 खातेदारी बादभूमि को उभयपक्ष रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी तामिल हेतु 3 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ....30/4/25........ को पेश हो।	
2/4/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील किशनलाल यादव ने मिसल पेशी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] अप्रार्थी 3 व 4 नियत [illegible]	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी सं. 3 व 4 दिनांक 14/5/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:23:22 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	रहेगा। पत्रावली वास्ते तलबी पेश दिनांक 30/6/25 को पेश हो	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त दिनांक 5/8/25 को पेश हो।	
16/7/25	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। चूंकि प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है अतः प्रार्थना-पत्र स्वयं ही औचित्यहीन होने कारण प्रार्थना-पत्र में दिनांक 26.3.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद के शामिल हो।	

(KALPIT SHIVRAN)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:23:22 IST
Reason: SelfAttested